राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–8)
शासन सचिवालय जयपुर

(Ph:–0141–2227229, Email ID:- pdme2k.rdd@rajasthan.gov.in)

विषयः–दिनांक 19.02.2021 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक के कार्यवाही विवरण में वर्णित बिन्दुओं के संबंध में।

संदर्भः–संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनु–1) विभाग के पत्रांक दिनांक 24.02.2021।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि दिनांक 30.12.2020 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में बैठक में दिये गये निर्देशों की क्रियाान्विति के संबंध में दिनांक 19.02.2021 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण प्राप्त हुआ है।

अतः संलग्न कार्यवाही विवरण में आपके अनुभाग से संबंधित बिन्दुओं पर आवश्यक/समुचित कार्यवाही कराने एवं कार्यवाही रिपोर्ट इस अनुभाग की ई–मेल आई डी pdme2k.rdd@rajasthan.gov.in पर आवश्यक रूप से भिजवाने का श्रम करावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(के.के शर्मा)
परि. निदे. एवं पदेन उप सचिव
(मो. एवं मू.)

1. निदेशक सामाजिक अंकेक्षण (SSAAT)।
2. परि. निदे. एवं संयुक्त सचिव, महात्मा गांधी नरेगा।
3. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर एवं उप निदेशक ग्रावि

अ.शा. टीप क्रमांक प. 5(2)ग्रावि/अनु.–8/सीएमआर/2020
जयपुर, दिनांक :– ०३/०३/२०२१
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
4. आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।

D. No. 1714 ACS/RD&PR/2021
Date 25 FEB 2021

दिनांक 30.12.2020 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता मे बैठक में दिये गये निर्देशों की कियान्विति के संबंध मे दिनांक 19.02.2021 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरणः–

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों की कियान्विति के संबंध में दिनांक 19.02.2021 को मुख्य सचिव महोदय द्वारा वी.सी. के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारी उपस्थित हुएः–

1. प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग।
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
3. शासन सचिव, गृह विभाग।
4. शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा।
5. शासन सचिव, श्रम विभाग।
6. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
7. निदेशक स्वायत्त शासन विभाग।
8. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग
9. आयुक्त, भू प्रबंधन विभाग।

बैठक में विचार–विमर्श के पश्चात निम्नानुसार निर्णय लिये गएः–

A. दिनांक 12.10.2020 को आयोजित राष्ट्रीय आर.टी.आई. वेबीनार मे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई घोषणाएंः–

1. आर. टी. आई. पोर्टल पर राज्य के समस्त विभागों को दिनांक 31.12.2020 तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा के अनुक्रम में रजिस्टर किये जाने के संबंध में प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा यह बताया गया कि अब तक 262 विभाग/निगम/बोर्ड/आयोग आर.टी.आई. पोर्टल पर रजिस्टर हो चुके है। शेष विभागों को रजिस्टर करने एवं जिला एवं ग्रामीण स्तर के लोक सूचना अधिकारियों को पोर्टल पर रजिस्टर होने के लिए मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिनांक 01.02.2021 को एक माह का समय दिया गया है। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा ने यह बताया कि राज्य के समस्त उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं अन्य माध्यमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए दिनांक 09.02.2021 को आदेश प्रसारित कर जिले के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी एवं जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया गया है।

   मुख्य सचिव महोदय द्वारा इस संबंध मे यह निर्देश दिये गये कि माध्यमिक शिक्षा विभाग समस्त उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य (पीईईओ) को लोक सूचना अधिकारी नियुक्त करने की कार्यवाही कर सभी को आर.टी.आई. पोर्टल पर रजिस्टर करावें। आरटीआई पोर्टल पर समस्त विभाग अपने अधीन लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपील अधिकारी का पंजीकरण दिनांक 28.02.2021 तक संपन्न करावें।

2. <u>सामाजिक अंकेक्षण यूनिट एवं समवर्ती अंकेक्षण–</u> ग्रामीण विकास विभाग द्वारा यह अवगत करवाया गया कि भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के सामाजिक अकेक्षण के लिये राज्य स्तर पर "सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही, एवं पारदर्शी सोसायटी (SSAAT) का गठन 27.06.2019 को किया गया है परन्तु नियमित सामाजिक अंकेक्षण कार्य कोविड–19 की महामारी के कारण संपादित नही किया जा सका।

   मुख्य सचिव महोदय द्वारा यह निर्देश दिये गये कि ग्रामीण विकास विभाग सभी विभागो के लिये सामाजिक अंकेक्षण यूनिट का गठन शीघ्र करे एवं विभागो द्वारा "कोविड–19" महामारी के समय पात्रता के अनुसार विभिन्न मदों में वितरित की गई राशि एवं सहायता का समवर्ती अंकेक्षण किया जाना भी सुनिश्चित करे।

3. जन सूचना पोर्टल एडवाईजरी ग्रुप:– मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जन सूचना पोर्टल एडवाईजरी ग्रुप का गठन करे, जिसमें सिविल सोसायटी के सदस्य, स्वंय सेवको तथा विशेषज्ञों को सम्मिलित कर प्रस्ताव शीघ्र ही अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करें।

C (i) एकल नारी के बच्चो के जाति प्रमाण पत्र के संबध मे:– सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा यह बताया गया कि संबधित पत्रावली दिनांक 22.01.2021 को विधि विभाग की राय हेतु प्रेषित की गई है राय प्राप्त होने पर तदानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(ii) पालनहार योजना अंतर्गत बच्चे को उसके माता पिता/अभिभावक द्वारा पालन पोषण किया जाता है। भुगतान की गई पालनहार राशि के संबंध मे स्वयंसेवी संस्थाओं का सामाजिक अंकेक्षण करने हेतु प्रस्ताव उच्च स्तर पर लम्बित है।

D सिलिकोसिस:– विशेष योग्यजन निदेशालय द्वारा यह अवगत करवाय गया है कि राज्य न्यूमोकोनियोसिस नीति 2019 के तहत फंड सृजन करने का प्रावधान किया गया है। वित्त विभाग की सहमति के पश्चात नीति के संचालन एंव कियान्वयन सबधी दिशा निर्देश अनुमोदन हेतु उच्च स्तर पर लम्बित है। मुख्य सचिव महोदय द्वारा इस सबध में शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये ।

E पूरा काम, पूरा दाम अभियान:– मनरेगा योजना की कियान्विति एवं विभिन्न विकास कार्यों में श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करवाने की दिशा में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ये अवगत करवाया गया कि उक्त विशेष अभियान के पंचसूत्र–समानरूची के समुहो का गठन, जेटीऐ व मेट का प्रभावी प्रशिक्षण, प्रशिक्षित महिला मेटें का नियोजन एवं जिला स्तर से ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रभावी पर्यवेक्षण है। शासन सचिव श्रम विभाग द्वारा बैठक में यह बताया गया कि जो श्रमिक नरेगा में 90 दिन काम पूर्ण कर लेते है उनके द्वारा आवेदन किये जाने पर भवन एवं अन्य संनिर्माण कामगार कल्याण अधिनियम के अंतर्गत उनका पंजीयन किया जाता है। इससे हजारो नरेगा श्रमिक उक्त योजनाओ का लाभ ले रहे है परन्तु एक प्रतिशत उपकर राशि बी.ओ.सी.डब्लयू बोर्ड में जमा नही हो रही है।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा इस संबध मे आयुक्त, मनरेगा को शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। निशक्तजनः परिवारो को चयनित ब्लाक्स मे 100 दिन रोजगार तथा सहरिया परिवारो को 200 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाने की दिशा में आवश्यक कदम उठाये जाने के निर्देश दिये।

F (i) जवाबदेही कानून:– मुख्य सचिव महोदय द्वारा यह निर्देश दिये गये कि दिनांक 25.02.2021 को अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के स्तर पर प्रस्तावित बैठक आवश्यक रूप से आयोजित कर मिटिंग मे लिये जाने वाले निर्णयो के अनुसार प्रस्ताव शीघ्र ही प्रस्तुत किये जावे।

(ii) राईट टु हेल्थ लॉ:– निदेशक चिकित्सा एवं स्वा. विभाग द्वारा ये बताया गया कि उक्त कानून के संबंध में अधिकांश कार्यवाही सम्पन्न हो चुकी है। प्रस्ताव शीघ्र ही अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जायेगें। मुख्य सचिव महोदय ने उक्त कानून जनता से जुडा होने के कारण इसमे शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

(iii) एस.सी.पी./टी.एस.पी लॉ:– इस संबध में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा ये अवगत करवया गया कि आयोजना विभाग द्वारा 'The Rajasthan Schedule castes Sub-plan and Tribal Sub-plan (Planinning, Allocation and Utilization of financial reasources) Bill 2013 के प्रारूप को अंतिम रूप दिये जाने के लिये मुख्य सचिव के स्तर पर बैठक आयोजित की गई। आयोजना विभाग द्वारा ही उक्त प्रारूप का अनुमोदन किया जाना है।

प्रमुख शासन सचिव जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा बताया गया कि इस संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु संबधित पत्रावली मुख्यमंत्री कार्यालय को भिजवाई गयी है एवं निर्णय होना शेष है।

G. <u>स्ट्रीट वेंडर्स</u>– मुख्य सचिव महोदय द्वारा स्वायत्त शासन विभाग को यह निर्देश दिये गये कि स्ट्रीट वेंडर्स का वेंडिंग/नॉन वेंडिंग जोन का निर्धारण सही तरीके से करने के लिये स्थानीय निकाय विभाग द्वारा प्रारूप नियमावली तैयार की जावे जिससे स्ट्रीट वेंडर्स की समस्या का स्थायी समाधान हो सके।

H. <u>लोक आपूर्ति प्रणाली:–</u> खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा यह बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 राज्य में लागू है और भारत सरकार द्वारा 2011 की जनगणना के आधार पर 4.46 करोड लाभार्थियों की सिलिंग नियत की गई। और इसी अनुरूप प्रतिमाह 232631 मिट्रिक टन गेंहु का आवंटन किया जा रहा है। उक्त योजना के अंतर्गत पडने वाले वित्तीय भार के क्रम में वित्त विभाग से अनुमति प्रकियाधीन है।

J. <u>वन अधिकार अधिनियम:–</u> वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त समस्त दावों के निस्तारण हेतु नोडल विभाग जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग है। प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा यह अवगत कराया गया कि अधिकांश मामले निस्तारित किये जा चुके है और शेष प्रकरणों के निस्तारण के लिए जिला कलक्टरों को आवश्यक निर्देश दिये गये है।

K. <u>राजस्व विभाग:–</u> प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग द्वारा बैठक में यह बताया गया कि भूमि संबंधी रिकोर्ड का डिजिटलिकरण सही ढंग से हो रहा है। संयुक्त खातों की जमीनों के पृथक–पृथक हिस्से जमाबंदी के खातों में मर्ज करने का कार्य किया जा रहा है। तेलंगाना मॉडल प्रदेश में लागू किये जाने का कोई औचित्य नही है। निकट भविष्य में प्रशासन गावों की ओर अभियान शुरू किया जायेगा जिसमें खाता विभाजन के प्रकरणो का निदान किया जा सकेगा।

L. <u>गृह विभाग</u>– कोविड महामारी के कारण गृह विभाग द्वारा राज्य मे सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक एव अन्य पब्लिक एवं सामान्य आयोजनों जिसमें 100 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित हो, के लिए संबंधित जिला कलक्टरों की अनुमति आवश्यक की गई है। यह औचित्यपूर्ण नही है एवं अव्यवहारिक है। गृह विभाग द्वारा दिनांक 01.02.2021 को इस संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश जारी कर दिये गये है, जिसमें शर्तें हटा दी गई हैं। उक्त दिशा–निर्देश राज्य में दिनांक 28.02.2021 तक लागू रहेंगे।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(प्रियंका गोस्वामी)
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु–1) विभाग

क्रमांक: प. 13(2)प्रसु/सम/अनु–1/2019 जयपुर, दिनांक: 24.02.2021

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान।
2. समस्त संबंधित अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
3. प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग।
4. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव